अति अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में निम्न सामग्रीयों की आपूर्ति हेतु निमार्ण इकाईयो/कम्पनियों/फर्मो से **डबल बिड प्रकिया के अन्तर्गत तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड की मोहरबन्द निविदाये रजिस्टर्ड डाक,** द्वारा दिनांक 27.6.2016 की अपरान्हं 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन के 4.00 बजे अपरान्ह में सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दिनांक 24.6.2016 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है। निविदा संबंधी जानकारी एवं शर्ते इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैः–

क0 सं0	सामग्री का नाम एवं साईज	सामग्री अनुमानित मात्रा	बन्धक धनराशि रूपये	सामग्री आपूर्ति स्थल
1	2	3	4	5
1	आर0सी0सी0पोल (साईज 1.80× 0.15×0.10मी0) 1:2:4 की अनुपात में सीमेण्ट,मोटा रेत, व स्टोन ब्लास्ट कंकरीट माइल्ड स्टील आयरन की बाइडिंग व 5 हुक सहित	3000 संख्या	20,000.00	सहारनपुर रेंज– 1200 सं0 नकुड रेंज– 1800 सं0 योग 3000 संख्या

टेण्डर की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. उपरोक्त सामग्रीयो की आपूर्ति हेतु निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र सम्मिलित है जिसे अलग–अलग बन्द लिफाफो में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रुप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिये। दोनों सील बन्द लिफाफो को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर इस कार्यालय को दिनांक 27.6.2016 तक अपरान्हं 2.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक, द्वारा प्रेषित करना होगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रुप से, जिस सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा दी जा रही है, उस निविदा सामग्री का नाम अंकित करना होगा। उपरोक्त अंकित दिनांक एवं समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा दर के ऊपर सेलोटेप चिपकाया जाना अनिवार्य होगा तथा निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग न की जाये अन्यथा निविदा की दरों को मान्य नही किया जायेगा।
2. उपरोक्त प्रत्येक सामग्री की आपूर्ति हेतु अलग–अलग निविदायें अलग–अलग लिफाफों में दी जायेगी ।
3. निविदादाता का लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, या अन्य संबन्धित राजकीय विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है ।
4. निविदादाता को तकनीकी बिड में निम्नलिखित अभिप्रमाणित प्रपत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा–उधोग विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, फर्म का वैट नम्बर प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नं0, अन्तिम तीन वर्ष की आयकर विवरणी एवं आडिटेड बैलेन्स शीट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रयण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र व आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के दो नमूने।
5. टैन्डर दाता द्वारा टैन्डर में दिया गया मूल्य अनुमोदित होनें पर **दिनांक 31.03.2017** तक के लिये मान्य रहेगा, फर्म अनुमोदित न्यूनतम दरों पर दि0 31.07.16 तक उक्त सामग्री की आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगी।
6. टैण्डरदाता को टेण्डर के साथ बन्धक धनराशि संलग्न करनी अनिवार्य होगी, जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक हो, बिना बन्धक धनराशि के टेण्डर पर कोई विचार नही किया जायेगा।
7. आपूर्ति की जाने वाली सामाग्री उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित मानको के अनुरूप होनी चाहिए, सामाग्री के मानको के अनुरूप न पाये जाने पर उसे स्वीकार नही किया जायेगा तथा निविदादाता की बन्धक/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. टैण्डर स्वीकृत होने के पश्चात निविदा दाता को जमानत धनराशि जमाकर व अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा तत्पश्चात कार्यादेश जारी किया जायेगा तथा कार्यादेश में निर्धारित समय सीमा तथा उक्त शर्त संख्या 4 में दी गई समय सीमा के अन्दर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
9. टेण्डरदाता को टेण्डर के साथ अपनी फर्म का व्यापार /आयकर रजिस्ट्रेशन संख्या एवं कर निर्धारण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. आयकर, स्टाम्प फीस, व्यापार कर की, वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार नियमानुसार, कटौती की जायेगी।
11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी टैण्डर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
12. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा घट/ बढ सकती हैं।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

14. यदि टेण्डर खुलने के दिनांक को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर टैण्डर खोला जायेगा।
15. किसी भी निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति, माफिया गतिविधि असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
16. यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा सम्भावित निविदा दाता को धमकी दी गई हो अथवा उन्हें निविदा प्रकिया में भाग लेने एवं टैण्डर डालने से रोका गया हो तो ऐसे अनुबन्ध को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
17. ठेकेदार को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निहित प्रतिबन्धों के साथ कार्य क्षेत्र निकटतम रोड हेड तक ढुलान करना होगा।
18. निर्धारित मानक गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग निदेशालय, रेट कान्ट्रेक्ट/डी0जी0एस0एन्डडी0 रेट से संबंधित फर्मो को वरीयता दी जायेगी।
19. निविदा दर समस्त करो एवं एफ0ओ0आर0 सहित देनी होगी तथा उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा फार्म के साथ सलंग्न विशिष्टियो के आगे अपनी दरें अंकित करनी होगी।
20. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(विजय सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।
पंत्राक : 5015 /15–1 दिनांक, सहारनपुर, जून 18 2016।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1 प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2 मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
3 मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, मेरठ।
4 वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त,सहारनपुर।
5 जिलाधिकारी, सहारनपुर।
6 समस्त प्रभागीय निदेशक, सहारनुपर वृत्त, सहारनपुर।
7 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
8 जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।
9 उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहारनपुर एवं देवबन्द।
10 समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सहारनपुर को निविदा के वृहद प्रचार–प्रसार हेतु ।
11 प्रभारी एन0आई0सी0,कलेक्ट्रेट, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस निविदा सूचना को एन0आई0सी जनपद सहारनपुर की बेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करे।
12 नोटिस बोर्ड।

(विजय सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।